रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237278
CG-DL-E-14072022-237278

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2022/आषाढ़ 20, 1944
No. 493] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2022/ASHADHA 20, 1944

India Code

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 531(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (च) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग के परामर्श से आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की भर्ती की पद्धति, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2022 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, ,-

(क) ''अधिनियम'' से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) अभिप्रेत हैं ।

(ख) ''आयोग'' से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अभिप्रेत है ।

(ग) ''अनुसूची'' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इनमे में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में है ।

3. आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की संख्या, वेतन और भत्ते.- आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की संख्या, वेतन और भत्ते तथा उनकी भर्ती की पद्धति इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट होंगी ।

4. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे ।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे ।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. नियुक्ति प्राधिकारी.- आयोग का अध्यक्ष, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की छानबीन के लिए प्रकिया.- (1) सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की छानबीन के लिए प्रकिया निम्नलिखित होगी, अर्थात् :-

(क) आयोग, विज्ञापन के माध्यम से पद के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा;

(ख) ऐसे प्राप्त सभी आवेदनों की अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा पात्रता के लिए छानबीन की जाएंगी ;

(ग) (i) स्तर – 9 और उससे ऊपर के पदों के लिए छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

1. सदस्य सचिव – अध्यक्ष;
2. निदेशक – सदस्य;
3. उपसचिव – सदस्य।

(ii) स्तर – 8 और उससे नीचे के पदों के लिए छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

1. निदेशक – अध्यक्ष;
2. उपसचिव – सदस्य;
3. अवर सचिव – सदस्य।

(2) छानबीन समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से छानबीन समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी ।

9. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की दशा में छानबीन के लिए प्रक्रिया.- (1) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की दशा में छानबीन के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित होगी, अर्थात् :-

(क) आयोग रिक्त पदों के लिए अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा ;

(ख) ऐसे प्राप्त सभी आवेदनों की अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा पात्रता के लिए छानबीन की जाएंगी;

(ग) (i) स्तर – 9 और उससे ऊपर के पदों के लिए छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

1. सदस्य सचिव – अध्यक्ष;
2. निदेशक – सदस्य;
3. उपसचिव – सदस्य।

(ii) स्तर – 8 और उससे नीचे के पदों के लिए छानबीन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

IndiaCode

1. निदेशक – अध्यक्ष;

2. उपसचिव – सदस्य;

3. अवर सचिव – सदस्य।

(2) छानबीन समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से छानबीन समिति की कार्यवाहीयां अविधिमान्य नहीं होगी ।

10. प्रतिनियुक्ति की अवधि.- (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अतंर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है प्रतिनियुक्ति प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की होगी और प्रतिनियुक्ति की अवधि आयोग के अध्यक्ष के अनुमोदन से पांच वर्ष तक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री के अनुमोदन से पांच वर्ष से अधिक और सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी ।

(2) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर, जारी किए गए प्रतिनियुक्ति संबंधी निर्देश प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में लागू होंगे ।

11. सेवा की शर्तें.- (1) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के वेतन, कार्यग्रहण की अवधि, कार्यग्रहण अवधि वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति फायदों के मामलों में सेवा की शर्तें और सेवा की अन्य शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगी जो वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी स्तर से संबंधित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तत्समय लागू हो ।

(2) उपनियम (1) में अतंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द द्वारा शासकीय विदेशी दौर करने के लिए, आयोग के अध्यक्ष या इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

(3) आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जिन्हें वास-सुविधा आबंटित नही की गई है, वे केन्द्रीय सरकार के समान वेतन आहरित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे ।

(4) आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जो प्रतिनियुक्ति पर है और जिनके पास समान्य पूल के अधीन सरकारी आवासीय वास-सुविधा है, वे सरकारी आवासीय वास-सुविधा बनाए रखने के लिए पात्र होंगे ।

(5) (i) आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द जो प्रतिनियुक्ति पर है ऐसी भविष्य निधि स्कीमों द्वारा शासित होना जारी रहेंगें जो उन पर उनके मूल मंत्रालय या विभाग अथवा संगठन में लागू होता है;

(ii) आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द से भविष्य निधि के लिए अभिदाय वसूल करेगा और उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को तुरंत ऐसी रकम प्रेषित करेगा;

(iii) देरी से प्रेषित किये जाने पर ब्याज की कोई हानि आयोग द्वारा वहन की जाएगी ।

(6) आयोग के प्रतिनियुक्ति से भिन्न अधिकारी और कर्मचारिवृन्द आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विरचित की जाने वाली स्कीम के अनुसार समूह बीमा के हकदार होंगे:

परन्तु यदि आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए हैं तो ऐसी समूह बीमा स्कीम द्वारा शासित होना जारी रहेंगे, जो उन पर उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में लागू होती है ।

(7) (i) आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द से बीमा स्कीमों के लिए अभिदाय वसूल करेगा और उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को तुरंत ऐसी रकम प्रेषित करेगा;

(ii) देरी से प्रेषित किये जाने पर ब्याज की कोई हानि आयोग द्वारा वहन की जाएगी ।

(8) आयोग के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द जो प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं, नई पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे ।

(9) आयोग के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, ऐसे पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे, जो उन्हें उनके मूल मंत्रालय या विभाग अथवा संगठन में उपलब्ध हैं ।

(10) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द पर केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 लागू होंगे ।

12. अवशिष्ट उपबंध.- आयोग के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के सेवाओं के निबंधनों और शर्तों से संबंधित मामले जिनके संबंध में इन नियमों के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे उपबंध नहीं बनाए गए हैं, आयोग द्वारा केन्द्रीय सराकर को उनके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

13. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

14. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर सचिव	*3(2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	अननुसचिवीय	स्तर 11 (67700-208700 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	लागू नहीं होता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपये) में आठ वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति: 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री;	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन समिति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. सदस्य सचिव -- अध्यक्ष 2. निदेशक-- सदस्य	लागू नहीं होता

(क) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ख) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपये) या स्तर-9 में (53100-167800 रुपये) या संयुक्त रुप से दोनों में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या (ग) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपये) मे आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; या 2. जिन्हें सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में प्रशासन या वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव है।	3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निदेशक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी--सदस्य	

टिप्पण 1 -- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुभाग अधिकारी	*2(2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	अननुसचिवीय	स्तर - 8 (47600-151100 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में आठ वर्ष की नियमित सेवा।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन समिति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (क) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ख) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) या स्तर-6 में (35400-112400 रुपये) या संयुक्त रुप से दोनों में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; या 2. जिन्हें सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में प्रशासन या वित्त या लेखांकन प्रोटोकोल के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव है।	1. सदस्य सचिव-- अध्यक्ष 2. निदेशक -- सदस्य 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी-- सदस्य	

टिप्पण 1 -- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक अनुभाग अधिकारी	*6 (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	अननुसचिवीय	स्तर - 7 (44900-142400 रुपये)	लागू नहीं होता	30 वर्ष (केंद्रीय सरकार के सुसंगत अनुदेशों के अनुसार आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों और सरकारी सेवकों के लिए आयु शिथिल की जा सकती है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री कंप्यूटर ज्ञान सहित, जिसके अंतर्गत एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पाइंट और कंप्यूटर के अन्य सुसंगत कार्य भी हैं ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : 1॰ जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया हुआ है ; या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) मे पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या; वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) मे आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (5200-20200 रुपये) मे दस वर्ष की नियमित सेवा की है। 2. जिन्हें सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में प्रशासन या वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव है ।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन समिति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--1. सदस्य सचिव -- अध्यक्ष 2. निदेशक -- सदस्य 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी-- सदस्य	लागू नहीं होता

टिप्पण 1-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 --प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	*1(2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	अननुसचिवीय	स्तर 12 (78800-209200 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : प्रधान निजी सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन समिति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--1. अध्यक्ष-- अध्यक्ष 2. सदस्य सचिव-- सदस्य	

डिग्री; (क) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) मे पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या (ग) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (5600-177500 रुपये) या स्तर-9 में (53100-167800 रुपये) या दोनों में संयुक्त रुप से दस वर्ष की नियमित सेवा की है। 2. जो आशुलिपि (अंग्रेजी) में 120 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो और एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पाइंट तथा अन्य सुसंगत कंप्यूटर कार्यो से सुपरिचित हो।	3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी -- सदस्य	

टिप्पण 1 -- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रधान निजी सचिव	*3 (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	अननुसचिवीय	स्तर - 11 (67700-208700 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : निजी सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपये) में आठ वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति/आमेलन : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (क) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ख) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपये) या स्तर-9 में (53100-167800 रुपये) या संयुक्त रुप से पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या (ग) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपये) मे छह वर्ष की नियमित सेवा की है। 2. जो आशुलिपि (अंग्रेजी) में 120 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो और एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पाइंट तथा अन्य सुसंगत कंप्यूटर कार्यो से सुपरिचित हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन समिति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. सदस्य सचिव-- अध्यक्ष 2. निदेशक -- सदस्य 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निदेशक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी-- सदस्य	लागू नहीं होता

IndiaCode

टिप्पण 1 -- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सचिव	*4 (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	अननुसचिवीय	स्तर - 8 (रुपये 47600-151100)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : निजी सचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में आठ वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; (क) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ख) जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो या स्तर-6 में (35400-112400 रुपये) में दस वर्ष की नियमित सेवा की है। 2. जो आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में 120 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो और एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पाइंट तथा अन्य सुसंगत कंप्यूटर कार्यो से सुपरिचित हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन समिति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-- 1. सदस्य सचिव – अध्यक्ष 2. निदेशक -- सदस्य 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उप निदेशक या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी -- सदस्य	लागू नहीं होता

टिप्पण 1 -- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2-- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सहायक	*4 (2022) *(कार्यभार के आधार पर	अननुसचिवय	स्तर - 7 (44900-	लागू नहीं होता	30 वर्ष (केंद्रीय सरकार के

IndiaCode

	परिवर्तन किया जा सकता है ।)		142400 रुपये)		सुसंगत अनुदेशों के अनुसार आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों और सरकारी सेवकों के लिए आयु शिथिल की जा सकती है ।)

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और जो आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो और एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पाइंट तथा अन्य सुसंगत कंप्यूटर कार्यो से सुपरिचित हो ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : 1. जिन्होंने सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किया हुआ है। या सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) मे पांच वर्ष की नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) मे आठ वर्ष की नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 4 (25500-81100 रुपये) मे दस वर्ष की नियमित सेवा की है। 2. जो आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो और एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पाइंट तथा अन्य सुसंगत कंप्यूटर कार्यो से सुपरिचित हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन समिति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--1. सदस्य सचिव--अध्यक्ष 2. निदेशक-- सदस्य 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी-- सदस्य	लागू नहीं होता

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ लेखा अधिकारी।	*1(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	अननुसचिवीय	स्तर-9 (53100-167800/रु.)।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7(44900-142400/रु.) में ऐसे सहायक लेखा अधिकारी जिन्होंने सात वर्ष की नियमित सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति:— 1.किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; (क) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किए हुए है। या (ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8(47600-151100/रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400/रु.) में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6(35400-112400/-रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों आदि में वित्त और लेखा के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष; 2.निदेशक-सदस्य; 3.पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी-सदस्य ।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या शासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक लेखा अधिकारी।	*1(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	अननुसचिवीय	स्तर-7 (44900 - 142400/रु.)।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5(29200-92300/रु.) में ऐसे लेखापाल जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति:— 1. सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किए हुए है। या (ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6(35400-112400/रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो । 2. सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वित्त और लेखा के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष; 2.निदेशक-सदस्य; 3.पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी-सदस्य ।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखापाल ।	*1(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	अननुसचिवीय।	स्तर-5 (29200 - 92300/रु.)।	लागू नहीं होता ।	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार के सुसंगत अनुदेशों के अनुसार आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों और सरकारी सेवकों के लिए आयु शिथिल की जा सकती है) ।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: वाणिज्य में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री । वांछनीय: चार्टर्ड अंकाउंटेंट संस्थान द्वारा मान्यताप्राप्त सी ए या आई सी डब्ल्यू ए ।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति ।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:— 1. सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किए हुए है। या सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4(25500-81100/रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 (21700-69100/रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वित्त और लेखा के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष; 2.निदेशक-सदस्य; 3.पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी-सदस्य ।	लागू नहीं होता।

IndiaCode

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक (राजभाषा)।	*1(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	अननुसचिवीय।	स्तर-6 (35400 - 112400/रु.)।	लागू नहीं होता ।	32 वर्ष (केन्द्रीय सरकार के सुसंगत अनुदेशों के अनुसार आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों और सरकारी सेवकों के लिए आयु शिथिल की जा सकती है) ।

(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें बैचलर डिग्री स्तर पर अंग्रेजी वैकल्पिक विषय रहा हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें बैचलर डिग्री स्तर पर हिंदी वैकल्पिक विषय रहा हो साथ ही सरकारी कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव हो ।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:— मुख्य विषयों के रुप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ किसी मान्यप्राप्त विश्वविद्यालय से बैंचलर डिग्री । (क) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में सदृश पद धारण किए हुए है। या (ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5(29200-92300/रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100/रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष; 2.निदेशक-सदस्य; 3.पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी-सदस्य ।	लागू नहीं होता।

IndiaCode

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विधिक सलाहकार।	*1(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	अननुसचिवीय।	स्तर-13 (123100 - 215900/रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ अल्पकालिक संविदा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11(67700-208700/रु.) में ऐसे उप विधिक सलाहकार जिन्होंने दस वर्ष की नियमित सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति:— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री; (क) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में भारतीय विधिक सेवा या न्यायिक सेवा या अन्य विधिक सेवा के सदृश पद धारण किए हुए है। या (ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में भारतीय विधिक सेवा या अन्य विधिक सेवा के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12(78800-209200/रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। या (ग) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में भारतीय विधिक सेवा या अन्य विधिक सेवा के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11(67700-208700/रु.)में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1.सभापति - अध्यक्ष; 2.सदस्य सचिव -सदस्य; 3. केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर का एक बाह्य विधिक विशेषज्ञ या उससे ऊपर का- सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम

हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उपविधिक सलाहकार।	*1(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	अननुसचिवीय।	स्तर-11 (67700 - 208700/रु.)।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56100 - 177500/रु.) में ऐसे सहायक विधिक सलाहकार जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति:— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री; (क) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में भारतीय विधिक सेवा या न्यायिक सेवा या अन्य विधिक सेवा के सदृश पद धारण किए हुए है। या (ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56100 – 177500/रु.) में या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (53100-167800/रु.) में या भारतीय विधिक सेवा या अन्य विधिक सेवा में संयुक्त रुप से पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष; 2.निदेशक-सदस्य; 3. विधिक सलाहकार या बाह्य विधिक विशेषज्ञ जो केन्द्रीय सरकार में निदेशक और उससे ऊपर के स्तरपर कार्यरत है- सदस्य ;	लागू नहीं होता।

IndiaCode

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक विधिक सलाहकार।	*1(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	अननुसचिवीय।	स्तर-10 (56100 - 177500/रु.)।	लागू नहीं होता ।	35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार के सुसंगत अनुदेशों के अनुसार आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों और सरकारी सेवकों के लिए आयु शिथिल की जा सकती है) ।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं 1.किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री के साथ सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में विधिक कार्य का चार वर्ष का अनुभव हो । या विधि में मास्टरडिग्री या पी.एच.डी या एम फिल के साथ सरकारी या कानूनीनिकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में दो वर्ष का अनुभव हो । वांछनीय: प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विधिक कार्य का अनुभव हो ।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति ।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7(44900 -142400/रु.) में ऐसे विधिक सहायक जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर	लागू नहीं होता।

IndiaCode

प्रतिनियुक्ति:— 1.किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री; (क) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में भारतीय विधिक सेवा या न्यायिक सेवा या अन्य विधिक सेवा के सदृश पद धारण किए हुए है। या (ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में विधिक सेवा के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600 – 151100/रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। या (ग) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400/रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। 2. वांछनीय: विधि में मास्टर या पी एच डी या एम फिल और प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विधिक कार्य का अनुभव।	बनेगी:— 1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष; 2.निदेशक-सदस्य; 3. विधिक सलाहकार या बाह्य विधिक विशेषज्ञ जो केन्द्रीय सरकार में निदेशक और उससे ऊपर के स्तर पर कार्यरत हैं - सदस्य।	

IndiaCode

टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विधिक सहायक।	*2(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अननुसचिवीय।	स्तर-7 (44900 - 142400/.)।	लागू नहीं होता।	32 वर्ष (केन्द्रीय सरकार के सुसंगत अनुदेशों के अनुसार आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों और सरकारी सेवकों के लिए आयु शिथिल की जा सकती है)।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: 1.किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री के साथ सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में विधिक कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या पी.एच.डी या एम फिल । वांछनीय अर्हताएं: प्रदूषण नियंत्रण या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विधिक कार्य का अनुभव हो।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति:— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री; (क) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में विधिक सेवा के सदृश पद धारण किए हुए है। या (ख) सरकारी या कानूनी निकायों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में किसी विधिक सेवा के वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400 – 112400/रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (प्रोन्नति या चयन के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:— 1.सदस्य सचिव-अध्यक्ष; 2.निदेशक-सदस्य; 3. विधिक सलाहकार या बाह्य विधिक विशेषज्ञ जो केन्द्रीय सरकार में निदेशक और उससे ऊपर के स्तर पर कार्यरत है - सदस्य ।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघराज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वशासी या कानूनी निकायों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

[फा.सं.क्यू-15014/01/2022-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2022

G.S.R. 531(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 11 read with the clause (f) of sub-section (2) of section 25 of the Commission for Air Quality Management in National

Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government, in consultation with the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment, salaries, allowances and conditions of service of the officers and other staff of the Commission, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (salaries, allowances and conditions of service of the officers and staff of the Commission) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021);

(b) "Commission" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas;

(c) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Number, salaries and allowances of the officers and staff of the Commission.- The number, salaries and allowances of the officers and other staff of the Commission and their method of recruitment shall be as specified in the Schedule.

4. Number of posts, classification and level in the pay matrix.– The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

5. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

6. Disqualification. - No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Appointing Authority.— The Chairperson of the Commission shall be the appointing authority for the officers and staff of the Commission.

8. Procedure for screening in case of direct recruitment.— (1) The procedure for screening in case of direct recruitment shall be following, namely:-

(a) the Commission shall invite applications for the post through an advertisement;

(b) all such applications received shall be screened for eligibility by a screening committee constituted by the Chairperson;

(c) (i) the screening committee for posts of level-9 and above shall consist of:

1. Member-Secretary – Chairman;

2. Director – Member;
3. Deputy Secretary – Member.

(ii) the screening committee for posts of level-8 and below shall consist of:

1. Director – Chairman;
2. Deputy Secretary – Member;
3. Under Secretary – Member.

(2) Absence of any of the member of the screening committee shall not invalidate the proceedings of the screening committee.

9. Procedure for screening in case of appointment by deputation.— (1) The procedure for screening in case of appointment by deputation shall be following, namely:-

(a) the Commission shall invite applications for the vacant posts through an advertisement on all India basis;

(b) the applications received shall be screened for eligibility by a screening committee constituted by the Chairperson;

(c) (i) the screening committee for posts of level-9 and above shall consist of:

1. Member-Secretary – Chairman;
2. Director – Member;
3. Deputy Secretary – Member.

(ii) the screening committee for posts of level-8 and below shall consist of:

1. Director – Chairman;
2. Deputy Secretary – Member;
3. Under Secretary – Member.

(2) Absence of any of the member of the screening committee shall not invalidate the proceedings of the screening committee.

10. Period of deputation.— (1) The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall be three years from the date of beginning of the deputation and the period of deputation may be extended upto five years with the approval of the Chairperson of the Commission, and beyond five years and upto seven years with the approval of the Minister for Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(2) The instructions on deputation issued, from time to time, by the Department of Personnel and Training shall be applicable to officers and staff serving on deputation basis.

11. Conditions of service.— (1) The conditions of service of the officers and staff of the Commission in matters of pay, joining time, joining time pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, travelling allowance and leave travel concession, and retirement benefits, and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to the employees belonging to the corresponding level in the pay matrix of the Central Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), prior approval of the Chairperson of the Commission or any other Member of the Commission authorised by the Chairperson in this behalf shall be required for official visits abroad to be undertaken by officers and staff of the Commission.

(3) The officers and staff of the Commission not allotted accommodation shall be eligible for house rent allowance as admissible to officers and employees of the Central Government drawing similar pay.

(4) The officers and staff of the Commission who are on deputation and having Government residential accommodation under general pool shall be eligible to retain Government residential accommodation.

(5) (i) the officers and staff of the Commission appointed on deputation, shall continue to be governed by Provident Fund Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or Organisation;

(ii) the Commission shall recover contribution towards provident fund from such officers and staff and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or organisation;

(iii) any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.

(6) The officers and staff of the Commission other than those on deputation shall be entitled Group Insurance as per the scheme to be formulated by the Commission in consultation with the Central Government:

Provided that in the case of the officers and staff of the Commission appointed on deputation shall continue to be governed by the Group Insurance Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or Organisation.

(7) (i) the Commission shall recover contribution towards the insurance schemes from such officers and staff and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or Organisation;

(ii) any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.

(8) The officers and staff of the Commission who are not on deputation shall be governed by the National Pension System.

(9) The officers and staff of the Commission who are on deputation shall be eligible for pension and retirement benefits, if any, as are available to them in their parent Ministry or Department or Organisation.

(10) The Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 shall apply to the officers and staff of the Commission.

12. Residuary provision.- Matters relating to the terms and conditions of service of the officers and staff of the Commission with respect to which no express provision has been made in these rules or such provisions have not been made by the Central Government, shall be referred by the Commission to the Central Government for its decision.

13. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex- servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

14. Powers to relax.— Where the Central Government in consultation with the Commission, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of the post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Under Secretary.	*3(2022) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -11 (Rs.67700-208700).	Not applicable	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and other qualifications prescribed for direct recruitment will be applicable in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which deputation/ absorption

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion or Selection Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Eight years' regular service as Section Officer in level -8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix. **Deputation**: 1. Bachelor's degree from a recognised university (a). holding analogous post in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (b) Five years' regular service in the level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or level -9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or both combined in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (c) Eight years' regular service in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix; 2. Minimum five years' experience in the field of administration or finance or accounts, in the government or statutory bodies or public sector undertakings.	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:- 1. Member Secretary-Chairman; 2. Director-Member; 3. Director or above level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member.	Not applicable.

Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Section Officer.	*2(2022) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -8 (Rs.47600-151100).	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Eight years' regular service as Assistant Section Officer in level- 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix. **Deputation**: 1. Bachelor's degree from a recognised university; (a). Holding analogous post in the government or statutory bodies or Public Sector Undertakings. Or (b) Eight years' regular service in the level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or ten years regular service in level -6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in the government or statutory bodies or public sector undertakings. 2. Minimum three years' experience in the field of administration or finance or accounts or protocol, in the government or statutory bodies or public sector undertakings.	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:- 1. Member Secretary- Chairman; 2. Director-Member; 3. Deputy Secretary or above level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member.	Not applicable.

Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Section Officer.	*6(2022) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -7 (Rs.44900-142400).	Not applicable	30 years (Age relaxation for reserved category candidates and government servant as per relevant instructions of the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's degree from a recognised university with computer knowledge including MS Words or Excel or Power Point and other relevant computer functions.	Not applicable	Two years for direct recruitment.	Direct recruitment failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation: 1. Holding analogous post in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or Five years' regular service in level- 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or Eight years' regular service in the level- 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or Ten years' regular service in the level -4 (Rs. 5200 - 20200) in the pay matrix. 2. three years' experience in the field of Administration or Finance or Accounts, in the government or statutory bodies or public sector undertakings.	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:- 1. Member Secretary-Chairman; 2. Director-Member; 3. Deputy Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member.	Not applicable.

IndiaCode

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Principal Private Secretary.	*1(2022) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -12 (Rs78800-209200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: five years' regular service as Principal Private Secretary in level -11(Rs.67700-208700) in the pay matrix. **Deputation**: 1. Bachelor's degree from a recognised university;	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:-	Not applicable.

(a) Holding analogous post in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (b) Five years' regular service in level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix. Or (c) Ten years' regular service in the level- 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or level - 9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or combined in the government or statutory bodies or public sector undertakings. 2. Possessing speed of 120 words per minute in stenography (English) and conversant in MS Words or Excel or Power Point and other relevant computer functions.	1. Chairperson-Chairman; 2. Member Secretary-Member; 3. Joint Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member.	

Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department or the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

indiacode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Principal Private Secretary.	*3(2022) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -11 (Rs.67700-208700)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which deputation/ absorption.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Eight years' regular service as Private Secretary in level -8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix. **Deputation/absorption:** 1. Bachelor's degree from a recognised university; (a) Holding analogous post in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (b) Five years' regular service in the level- 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or level-9 (Rs.	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:- 1. Member Secretary-Chairman; 2. Director-Member; 3. Director or above Level	Not applicable.

53100-167800) in the pay matrix or combined in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (c) Six years' regular service in the level- 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix in the government or statutory bodies or public sector undertakings. 2. Possessing speed of 120 words per minute in stenography (English) conversant in MS Words or Excel or Power Point and other relevant computer functions.	Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member.	

Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Private Secretary.	*4(2022) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -8 (Rs.47600-151100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	Promotion failing which deputation/absorption.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Eight years' regular service as Personal Assistant in level-7 (Rs.44900-142400 in the pay matrix). **Deputation**: 1. Bachelor's degree from a recognised university. (a) Holding analogous post in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (b) Eight years' regular service in the level- 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or Ten years' regular service in level -6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in the government or statutory bodies or public sector undertakings. 2. possessing of 120 per minute in stenography (English or Hindi) conversant in MS Words or Excel or Power Point and other relevant computer functions.	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:- 1. Member Secretary-Chairman; 2. Director-Member; 3. Deputy Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member.	Not applicable

Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Personal Assistant.	*4(2022) *subject to variation dependent of workload.	Non-Ministerial.	Level -7 (Rs.44900-142400).	Not applicable.	30 years (Age relaxation for reserved category candidates and government servant as per relevant instructions of the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's degree from a recognised university and possessing speed of 100 words per minute in stenography (English or Hindi) conversant in MS Words or Excel or Power Point and other relevant computer functions.	Not applicable	Two years for direct recruitment.	Direct recruitment failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation: 1. Holding analogous post in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or Five years' regular service in level -6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or eight years' regular service in level -5 (Rs.29200-92300 in the pay matrix) or ten years regular service in level- 4 (Rs. 25500 – 81100) in the pay matrix in the government or statutory bodies or public sector undertakings. 3. possessing speed of 100 words per minute in stenography (English or Hindi) conversant in MS Word or Excel or Power Point and other relevant computer functions.	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:- 1. Member Secretary- Chairman; 2. Director-Member; 3. Deputy Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member.	Not applicable.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

IndiaCode

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Accounts Officer.	*1(2022) *subject to variation dependent on Workload.	Non-Ministerial.	Level -9 (Rs.53100-167800).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Seven years' regular service as Assistant Accounts Officer in level- 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix. **Deputation**: 1. Bachelor's degree from a recognised university; (a) Holding analogous post in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (b) Three years' regular service in level -8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or seven years regular service in level -7(Rs.44900-142400) in the pay matrix or eight years regular service in level- 6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix in the government or statutory bodies or public sector undertakings. 2. Minimum three years' experience in the field of Finance and Accounts in the government or statutory bodies or Public Sector Undertakings etc.	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:- 1. Member Secretary-Chairman; 2. Director-Member; 3. Deputy Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member.	Not Applicable

Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Accounts Officer.	*1(2022) *subject to variation dependent on Workload.	Non-Ministerial.	Level -7 (Rs.44900-142400).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which Deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: eight years' regular service as Accountant in level- 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix. **Deputation**: 1. Holding analogous post in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or Five years' regular service in level -6 (Rs.35400-112400 in the pay matrix) or eight years regular service in level -5 (Rs.29200-92300 in the pay matrix) in the government or statutory bodies or public sector undertakings. 2. Minimum three years' experience in the field of Finance and Accounts in the government or statutory bodies or public sector undertakings.	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:- 1. Member Secretary-Chairman; 2. Director-Member; 3. Deputy Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member.	Not applicable.

Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accountant.	*1(2022) *subject to variation dependent on Workload.	Non-Ministerial.	Level -5 (Rs.29200-92300).	Not applicable.	30 years (Age relaxation for reserved category candidates and government servant as per relevant instructions of the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Bachelor's degree from a recognised university in Commerce. **Desirable:** CA or ICWA recognised by the institute of Chartered Accountants.	Not applicable.	Two years for direct recruitment.	Direct recruitment failing which deputation.

(11)	(12)	(13)

Deputation: 1. Holding analogous post in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or Five years' regular service in level- 4 (Rs. 25500 – 81100) in the pay matrix or eight years' regular service in level -3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix in the government or statutory bodies or public sector undertakings. 2. Minimum three years' experience in the field of finance or accounts in the government or statutory bodies or public sector undertakings.	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:- 1. Member Secretary- Chairman; 2. Director-Member; 3. Deputy Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member.	Not Applicable.

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator (OL).	*1(2022) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -6 (Rs.35400-112400).	Not applicable.	32 years (Relaxation for reserved category candidates and government servant as per relevant instructions of the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Master's degree from a recognised university in Hindi with English as an elective subject in Bachelor's degree or Master's degree in English with Hindi as elective subject in Bachelor degree with two years' experience in the relevant field in government or statutory bodies or public sector undertakings.	Not applicable.	Two years for direct recruitment.	Direct recruitment failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation: Bachelor's degree from a recognised university with Hindi and English as main subjects; (a) Holding analogous post in the government or statutory bodies or Public Sector Undertakings etc.	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:- 1. Member Secretary-	Not applicable.

Or (b) Six years' regular service in level -5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or eight years' regular service in level -4 (Rs. 25500 – 81100) in the pay matrix in the government or statutory bodies or public sector undertakings.	Chairman; 2. Director-Member; 3. Deputy Secretary or above Level Officer of Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member.	

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Legal Advisor.	*1(2022) *subject to variation dependent on Workload.	Non-Ministerial	Level -13 (Rs. 123100-215900).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which deputation/short term contract.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Legal Advisor in level -11 (Rs. 67700-208700 in the pay matrix) with ten years regular service. **Deputation**: Bachelor's degree in Law from a recognised university; (a) Holding analogous posts of Indian Legal Services or Judicial Service or other Legal Service in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (b) Five years' regular service in level -12 (Rs78800-209200) in the pay matrix of Indian Legal Services or other Legal Service in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (c) Ten years' regular service in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix of Indian Legal Services or other Legal Service in the government or statutory bodies or public sector undertakings.	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion / selection) consisting of:- 1. Chairperson- Chairman; 2. Member Secretary-Member; 3. One External Legal Expert at the Level of Joint Secretary or above in Central Government - Member.	Not applicable.

Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying

IndiaCode

or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Legal Advisor.	*1(2022). *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -11 (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: five years' regular service as Assistant Legal Advisor in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix. **Deputation**: Bachelor's degree in Law from a recognised university; (a) Holding analogous posts of Indian Legal Services or Judicial Service or other Legal Service in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (b) Five years' regular service in level -10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or level -9 (Rs. 53100-167800 in the pay matrix) or combined of Indian Legal Services or other Legal Service in the government or statutory bodies or public sector undertakings.	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:- 1. Member Secretary-Chairman; 2. Director-Member; 3. Legal Advisor or an External Legal Expert serving in the Central Government at the level of Director or above-Member.	Not Applicable

Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central

IndiaCode

Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Legal Advisor.	*1(2022). *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial	Level -10 (Rs. 56100-177500).	Not applicable.	**35 years** (Age relaxation for reserved category candidates and government servant as per relevant instructions of the Central Government).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualifications 1. Bachelor's degree in Law from a recognised university with four years' experience of legal work in the government or statutory bodies or Public Sector Undertakings. Or Master Degree or PhD or M Phil in Law with two years' experience in the government or statutory bodies or Public Sector Undertakings. **Desirable:** Experience of legal work in the field of Pollution control or Environment protection.	Not applicable.	Two years for direct recruitment.	Promotion failing which direct recruitment failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Eight years' regular service as Legal Assistant in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix. **Deputation**: 1. Bachelor's degree in Law from a recognised university; (a) Holding analogous posts of Indian Legal Services or Judicial Service or other Legal Service in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (b) Three years' regular service in level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix of Legal Service in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (c) Eight years' regular service in level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix in the government or statutory bodies or public sector undertakings. 2. Desirable**:** Master or PhD or M Phil in Law and Experience of legal work in the field of	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion or selection) consisting of:- 1. Member Secretary-Chairman; 2. Director-Member; 3. Legal Advisor or an External Legal Expert serving in Central Government at the level of Director and above-Member.	Not Applicable

IndiaCode

Pollution control or Environment protection.		

Note 1: Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Legal Assistant.	*2(2022) *subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial.	Level -7 (Rs.44900-142400).	Not applicable.	32years (Age relaxation for reserved category candidates and government servant as per relevant instructions of the Central Government).

IndiaCode

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualifications: Bachelor's degree in Law from a recognised university with two years' experience of legal work in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or Master Degree or PhD or M Phil in Law from recognised university Desirable qualification: Experience of legal work in the field of Pollution control or Environment protection.	Not applicable.	Two years for direct recruitment.	Direct recruitment failing which deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation: Bachelor's degree in Law from a recognised university; (a) Holding analogous posts of Legal Service in the government or statutory bodies or public sector undertakings. Or (b) Six years' regular service in level 6	Departmental Promotion Committee /Selection Committee (for considering promotion /selection) consisting of:- 1. Member Secretary- Chairman; 2.Director-Member;	Not applicable.

(Rs.35400-112400) in the pay matrix of any Legal Service in the government or statutory bodies or public sector undertakings.	3. Legal Advisor or an External Legal Expert serving in Central Government at the level of Director and above-Member.	

Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or autonomous or statutory bodies shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. Q-15014/01/2022-CPA]
NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.14 11:29:31 +05'30'